भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-385
दिनांक 22 जुलाई, 2026 के लिए उत्तर

पशुपालन करने वाले समुदाय हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

385. श्री आर. गिरिराजनः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर तमिलनाडु में, पशुपालन करने वाले समुदाय और मछुआरों के विकास के लिए कोई व्यापक कल्याणकारी योजनाएँ तैयार की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तमिलनाडु में पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवंटित और संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण देने, मछली पकड़ने और भंडारण के लिए अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराने और मूल्य-वर्धित उत्पाद बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सरकार ने मवेशियों, गायों और बैलों की देसी नस्लों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रसार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पशुपालन करने वाले समुदायों और मछुआरों के व्यापक कल्याण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को संपूरित करने हेतु, भारत सरकार का मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तमिलनाडु सहित देशभर में निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

(1) देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और दूध के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने पर फोकस करते हुए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे किसानों के लिए दूध उत्पादन अधिक लाभदायक बना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कारण गोपशु और भैसों की देशी नस्लों सहित दुधारू बोवाइन पशुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु को कुल 18,531.82 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): NPDD को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है:

(i) NPDD का घटक 'क' राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/ ज़िला सहकारी दूध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (SHG)/ दूध उत्पादक कंपनियों/ किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण

उपकरणों और प्राथमिक दूध शीतलन सुविधाओं हेतु अवसंरचना निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर फोकस करता है।

(ii) NPDD योजना के घटक 'ख' "सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाज़ार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना का उन्नयन करके और उत्पादकों के स्वामित्व वाले संस्थानों की क्षमता बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना है।

NPDD योजना के अंतर्गत, तमिलनाडु में कुल 34,228.69 लाख रुपए की परियोजना लागत वाली 12 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 23,142.44 लाख रुपए है और दिनांक 16.07.2026 तक इसमें से 22,855.66 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

(3) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO): प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण आए संकट से निपटने के लिए सुगम कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके राज्य डेयरी सहकारी संघों की सहायता करना।

(4) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पशुपालन और डेयरी किसानों को कार्यशील पूंजीगज ऋण उपलब्ध कराता है। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की "संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (MISS)" के अंतर्गत, KCC कार्ड पर पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्रियाकलापों के लिए कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण पर बैंकों को 1.5% ब्याज सबवेंशन और किसानों को समय पर भुगतान करने पर 3% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इससे डेयरी किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले पशु आहार, पशु चिकित्सा देखभाल और उन्नत प्रजनन तकनीकों में निवेश करने में सहायता मिलती है। दिनांक 31.03.2026 तक, तमिलनाडु में 7.13 लाख KCC खाते चल रहे हैं, जिन पर 9,255.47 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।

(5) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) पशु रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता बढ़ाने, रोगों की निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। साथ ही, इस योजना के अंतर्गत 'पशु औषधि' का एक नया घटक जोड़ा गया है ताकि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से पूरे देश में किफायती जेनेरिक पशु चिकित्सा औषधियां उपलब्ध कराई जा सकें। इससे किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियों के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण होगा। LHDCP के अंतर्गत, पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु को कुल 11250.21 लाख रुपए जारी किए गए हैं। अब तक, तमिलनाडु में FMD के लिए 712 लाख टीके लगाए गए हैं, जिससे 32.67 लाख डेयरी किसान लाभान्वित हुए हैं और ब्रुसेलोसिस के लिए 23.16 लाख टीके लगाए गए हैं, जिससे 11.70 लाख डेयरी किसान लाभान्वित हुए हैं।

(6) राष्ट्रीय पशुधन मिशन गुणवत्तापूर्ण पशु आहार और चारे की बेहतर उपलब्धता और डेयरी पशुओं सहित पशुधन के लिए जोखिम कवरेज पर फोकस कर रहा है। यह योजना चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। NLM के अंतर्गत, पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु को कुल 375 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा, NLM EDP के अंतर्गत, अब तक तमिलनाडु को 142.44 करोड़ रुपए की लागत वाली 214 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(7) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): AHIDF में पशुधन उत्पादों के प्रसंस्करण और विविधीकरण के लिए अवसंरचना निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु 3% वार्षिक दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक बेहतर पहुंच

प्राप्त होती है। अब तक तमिलनाडु को 2676.61 करोड़ रुपए की लागत वाली 52 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(8) भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग ने वर्ष 2015 से मत्स्यपालन क्षेत्र में निवेश में काफी वृद्धि की है। तमिलनाडु सहित देशभर में मत्स्यपालन, जलकृषि और मछुआरों के समग्र विकास के लिए 39,272 करोड़ रुपये की योजनाओं चलाई जा रही हैं। योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) नीली क्रांति योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक कार्यान्वित की गई थी।

(ii) मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वित की गई।

(iii) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक कार्यान्वित की गई: PMMSY के तहत प्रमुख कल्याणकारी घटकों में शामिल हैं: (क) आजीविका और पोषण सहायता: आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए वार्षिक मत्स्यन प्रतिबंध की अवधि के दौरान पारंपरिक मछुआरों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता, (ख) समूह दुर्घटना बीमा योजना (GAIS): मृत्यु, स्थायी/आंशिक विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने संबंधी व्यय के लिए मछुआरों हेतु व्यापक बीमा कवरेज, जिसमें पूरा बीमा कवरेज केंद्र तथा राज्य के बीच साझा किया जाता है और मछुआरों से योगदान नहीं लिया जाता और (ग) वैकल्पिक आजीविका: सतत पूरक आय प्रवाह प्रदान करने के लिए पिंजरा पालन और समुद्री शैवाल खेती जैसे समुद्री कृषि कार्यकलापों के लिए सहायता।

(iv) प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY) वित्तीय वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 तक कार्यान्वित की गई, और

(v) मछुआरों और मछली पालकों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा का विस्तार।

ये योजनाएं मुख्य रूप से मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना और प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, ट्रेसेबिलिटी, एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचे की स्थापना और मछुआरों के कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। पिछले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26) के दौरान भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग ने PMMSY के तहत तमिलनाडु सरकार के 1240 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी 480 करोड़ रुपये के साथ) के मत्स्य विकास प्रस्तावों को अनुमोदन दिया। मछुआरों और मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा के विस्तार संबंधी योजना के तहत, तमिलनाडु राज्य को पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25) के दौरान 2,59,947 केसीसी कार्ड स्वीकृत किए गए। मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) के अंतर्गत भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग ने तमिलनाडु राज्य के लिए 2169.03 करोड़ रुपये की 108 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया है।

तमिलनाडु में विभिन्न राज्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत पिछले पांच वर्षों में आवंटित और वितरित की गई राशि का विवरण संलग्न है।

(ग) पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण, मछली पकड़ने और भंडारण के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी गैजेट्स की व्यवस्था और मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

(1) कौशल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: तमिलनाडु सरकार कौशल उन्नयन और सतत रोजगार सृजन के माध्यम से मछुआरा समुदाय के युवाओं, मछुआरों और मछुआरिनों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू कर रही है। तमिलनाडु कौशल विकास निगम (TNSDC) की वित्तीय सहायता से, तमिलनाडु के सभी जिलों में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है:

(i) समुद्री शैवाल कृषि तकनीक (मोनोलिन और राफ्ट विधियां)
(ii) मूल्य वर्धित समुद्री शैवाल उत्पाद और जैविक इनपुट उत्पादन
(iii) ओपन सी केज एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस
(iv) मड क्रैब फैटनिंग और विपणन रणनीतियाँ
(v) केकड़ा व्यंजन, हैंडलिंग और मछली विपणन संबंधी आवश्यक सामग्रियां
(vi) रेडी-टू-ईट मछली उत्पाद और प्रसंस्करण विधियां
(vii) उन्नत झींगा प्रसंस्करण और उत्पाद नवाचार
(viii) नौका ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट कोर्स
(ix) नाव इंजन रखरखाव और मरम्मत
(x) समुद्री संचार और ऑनबोर्ड सुरक्षा कौशल
(xi) महिलाओं के लिए नेट क्राफ्टिंग और वेस्ट नेट रीसाइक्लिंग
(xii) मछली जैव उर्वरक और वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन और विपणन

इस पहल के तहत 8,228 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा, मछुआरा समुदाय के 152 युवाओं को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(i) फुल स्टैक डेवलपर
(ii) डिजिटल मार्केटिंग के साथ बिजनेस एनालिटिक्स
(iii) नाव इंजन दोष सुधार और रखरखाव

(2) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और गैजेट्स:

(i) संचार और सुरक्षा ट्रैकिंग: संरक्षा और सुरक्षा पहलों के तहत, इसरो द्वारा विकसित उन्नत संचार ट्रांसपोंडर को मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर लगाया जा रहा है (तमिलनाडु में 3,884 से अधिक ट्रांसपोंडर लगाए गए हैं) ताकि वास्तविक समय में ट्रैकिंग और मौसम का प्रसार किया जा सके।

(ii) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विविधीकरण: विशेष रूप से पाल्क (palk) खाड़ी जैसे क्षेत्रों में, गैर-धारणीय बॉटम ट्रॉलरों को बदलने के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाती है।

(iii) पोत का उन्नयन: नई नौकाओं के अधिग्रहण, पारंपरिक जालों को बदलने और कारीगर मछुआरों को सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए निधि आबंटित की गयी है।

(3) भंडारण और मूल्य वर्धित उत्पाद

(i) पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना: पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम करने के लिए आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, एकीकृत कोल्ड चेन और आधुनिक मछली बाजार स्थापित करने के लिए PMMSY और FIDF दोनों के तहत व्यापक सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण: ये योजनाएं मछली प्रसंस्करण इकाइयों और खुदरा अवसंरचना की स्थापना के लिए निधि प्रदान करती हैं। एक प्रमुख पहल तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क (127 करोड़ रु. के परियोजना लागत के साथ) की स्थापना है, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन से लेकर भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित समुद्री शैवाल उत्पादों के निर्माण तक एक पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है।

(घ) भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के तहत गोपशुओं और भैंसों की देशी नस्लों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रसार के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है:

(i) 50% से कम कवरेज वाले जिलों में निशुल्क में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार करने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP) का कार्यान्वयन। आज तक की स्थिति के अनुसार, देश में 10.51 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है और 5.98 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। इसमें तमिलनाडु में कवर किए गए 59.50 लाख पशु और 26.27 लाख लाभान्वित किसान शामिल हैं।

(ii) ग्रामीण भारत में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों/बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (MAITRI) के माध्यम से किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की प्रदायगी। अब तक, देश में 47687 MAITRI को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है, जिसमें से 475 तमिलनाडु में हैं।

(iii) सीमन उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार प्राप्त करने के लिए सीमन स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया जाता है। अब तक, 48 सीमन स्टेशनों को सुदृढ़ करने के लिए संस्वीकृति दी गई है, जिसमें तमिलनाडु में ईचेनकोट्टई, ऊटी, होसुर, उधगमंडलम और अलामादी में 5 सीमन स्टेशन शामिल हैं।

(iv) देश में 90% सटीकता केवल बछड़ियों के उत्पादन के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन शुरू किया गया है। RGM के तहत, जिला पशुधन फार्म, उधगमंडलम में सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा की स्थापना के लिए तमिलनाडु को सहायता प्रदान की गई है और आज तक, 7.79 लाख खुराक सेक्स सॉर्टेड सीमन का उत्पादन किया गया है।

(v) इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीकी का कार्यान्वयन: इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीकी के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु के होसुर और नमक्कल में 2 प्रयोगशालाओं सहित देश में 24 IVF प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(vi) इस योजना के तहत तमिलनाडु सहित पूरे देश में देशी बोवाइन नस्लों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रजनन शिविर, दूध उत्पादन प्रतियोगिता, बछड़ी-बछड़ा (calf) रैलियां, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशाला, सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया है।

अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न राज्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और संवितरित राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	नामित लाभार्थियों की संख्या	सरकार द्वारा स्वीकृत राशि (रुपए में)	उन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें राहत राशि संवितरित की गई (संख्या में)	संवितरित राहत राशि (रुपए में)
I.	समुद्री मछुआरों के लिए बचत सह राहत योजना				
1	वर्ष 2021-22	2,10,644	63,19,32,000	2,07,869	62,19,02,090
2	वर्ष 2022-23	2,10,883	63,26,49,000	2,05,491	61,43,44,700
3	वर्ष 2023-24	2,11,319	63,39,57,000	1,97,746	59,25,25,550
4	वर्ष 2024-25	2,10,850	63,25,50,000	2,02,374	60,53,03,250
5	वर्ष 2025-26	2,08,746	62,62,38,000	1,99,420	59,53,29,450
II.	समुद्री मछुआरिनों के लिए तमिलनाडु मछुआरिन बचत सह राहत योजना				
1	वर्ष 2021-22	2,09,328	62,79,84,000	2,07,150	61,98,24,084
2	वर्ष 2022-23	2,11,195	63,35,85,000	2,06,252	61,70,84,750
3	वर्ष 2023-24	2,05,902	61,77,06,000	1,95,696	58,64,86,700
4	वर्ष 2024-25	2,03,294	60,98,82,000	1,97,832	59,17,74,500
5	वर्ष 2025-26	1,98,460	59,53,80,000	1,95,119	58,14,08,950
III.	कम मत्स्यन वाले माह के दौरान समुद्री मछुआरों के परिवारों को विशेष भत्ता				
1	वर्ष 2021-22	1,86,128	1,11,67,68,000	1,85,560	1,11,33,60,000
2	वर्ष 2022-23	1,87,308	1,12,38,48,000	1,86,049	1,11,62,94,000
3	वर्ष 2023-24	1,80,000	1,08,00,00,000	1,75,737	1,05,44,22,000
4	वर्ष 2024-25	1,79,147	1,07,48,82,000	1,74,918	1,04,95,08,000
5	वर्ष 2025-26	1,91,256	1,14,75,36,000	1,90,647	1,14,38,82,000
IV.	समुद्री मछुआरों के परियारों को मत्स्यन प्रतिबंध राहत सहायता				
1	वर्ष 2021-22	1,72,000	86,00,00,000	1,71,234	85,61,70,000
2	वर्ष 2022-23	1,78,472	89,23,60,000	1,78,322	89,16,10,000
3	वर्ष 2023-24	1,79,000	89,50,00,000	1,67,007	83,50,35,000
4	वर्ष 2024-25	1,80,218	1,44,17,44,000	1,78,362	1,42,68,96,000
5	वर्ष 2025-26	1,83,998	1,47,19,90,000	1,81,107	1,44,88,56,000